उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्रधान कार्यालय,लखनऊ।

परिपत्र सं0सी– 21 /तक0प्रको0/ई रिक्शा/18–19 दिनॉक– 30.05.18

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजनार्न्तगत परिवहन के क्षेत्र में एस.आर. डब्लू.टी.ओ योजनार्न्तगत ई रिक्शा हेतु ऋण वितरण के संदर्भ में ।

उपर्युक्त विषयक योजना के सम्बन्ध में प्रधान कार्यालय द्वारा निर्गत परिपत्र सं0 सी 100 /तक0प्रको0 /ई रिक्शा/2017–18 दिनॉक 27.03.18 का संदर्भ लें जिसके द्वारा उक्त शीर्षक में उल्लिखित योजना में ऋण वितरण प्रकिया प्रेषित करते हुए ई–रिक्शा हेतु ऋण वितरण किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये गये है।

उक्त परिपत्र को निर्गत किये दो माह से अधिक का समय ब्यतीत हो गया है परन्तु अद्यतन किसी शाखा में ऋण वितरण होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नही प्राप्त हो पायी है। जबकि उक्त योजना में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. द्वारा न्यूनतम ब्याज दर वित्त पोषण की सुविधा भी है। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप द्वारा उक्त योजना को ऋण वितरण हेतु रूचि नही ली जा रही है। यह अत्यन्त गम्भीर विषय है।

अतः निर्देशित किया गया है कि उक्त योजना में ऋण वितरण कर अधिकाधिक लाभार्थियो को आच्छादित कर लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित करें तथा ऋण वितरण की प्रगति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करना सुनिश्चित करे।

(अजय पाल सिंह)
महाप्रबन्धक (तकनीकी)

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित–

1 समस्त जनपदीय प्रबन्धक,उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र की प्रति को अपने जनपद की समस्त शाखाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2 समस्त मण्डलीय पर्यवेक्षक उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ।

3 उप महाप्रबन्धक (आई0टी0सेल) उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,प्र0का0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस परिपत्र को समस्त जनपदीय शाखाओ को ई–मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

4.प्रबन्ध निदेशक महोदय को अवलोकनार्थ।

महाप्रबन्धक (तकनीकी)